समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

एक ही स्थान पर तीन वर्ष अथवा तीन वर्षो से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले प्रधान लिपिकों का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण एवं पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर किया जाता है:–

क्र0	नाम/पदनाम	गृह प्रखंड	वर्तमान पदस्थापन	स्थानांतरण स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री अजय कुमार (प्र0 लि0)	मखदुमपुर	जिला आपूर्ति/प्रतिनियुक्त जिला स्थापना	अनुमंडल कार्यालय
2	श्री धीरेन्द्र प्रसाद (प्र0 लि0)	जहानाबाद	काको अंचल/प्रतिनियुक्त जिला योजना	अनुमंडल कार्यालय/प्रतिनियुक्त जिला राजस्व शाखा, जहानाबाद
3	श्री सत्येन्द्र कुमार, (प्र0 लि0)	मखदुमपुर,	अनुमंडल कार्यालय/प्रतिनियुक्त लोक शिकायत कोषांग, जहानाबाद	जिला आपूर्ति/प्रतिनियुक्त जिला स्थापना शाखा, जहानाबाद
4	श्री वजीर दास, (प्र0 लि0)	काको जहानाबाद	अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद	मोदनगंज प्रखण्ड
5	श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, (प्र0 लि0)	बेलागंज,	मखदुमपुर अंचल	अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद/प्रतिनियुक्त जिला कल्याण, जहानाबाद
6	श्री नागेन्द्र पासवान (प्र0 लि0)	पुनपुन	मोदनगंज प्रखण्ड	मखदुमपुर अंचल
7	श्री अग्नि कुमार, प्रधान लिपिक	काको	रतनी फरीदपुर प्रखण्ड/जिला राजस्व शाखा, जहानाबाद	रतनी फरीदपुर प्रखण्ड (प्रतिनियुक्ति समाप्त)

2. स्थानांतरित प्रधान लिपिकों को माह जुलाई, 2016 का वेतन स्थानांतरित स्थान पर योगदान करने के पश्चात ही स्थानांतरित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

3. संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित प्रधान लिपिकों को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्थानांतरित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित प्रधान लिपिक अपने जिम्मे संपूर्ण अभिलेखों एवं दस्तावेजों का प्रभार प्रतिवेदन तीन प्रति में तैयार करेंगे और प्रभार आदान–प्रदान के पश्चात एक प्रति प्रभार प्रतिवेदन कार्यालय के रक्षी संचिका में सुरक्षित ढंग से रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रधान किसी भी प्रकार के स्थाई अग्रिम/बकाया को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अंकित कर विरमन आदेश निर्गत करेंगे। ससमय प्रभार का आदान–प्रदान कराकर विरमित करना कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी। यदि संबंधित कर्मी प्रभार देने/लेने में लापरवाही बरतते है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

4. यदि किसी प्रधान लिपिक द्वारा एक पक्ष के अंदर प्रभार प्रतिवेदन नहीं सौंपा जाता है, तो उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. यदि किसी प्रधान लिपिक को ससमय विरमित नहीं किया जाता है, तो दिनांक 15.07.2016 को स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/- 29/6/16

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांकः– 676 /स्था0, दिनांकः– 29/06/2016

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जहानाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– स्थानांतरित सभी प्रधान लिपिक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– एक प्रति रक्षी संचिका में।

ह०/- 29/6/16

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।